

## ‘बैक टू वर्क’ योजना

### चर्चा में क्यों?

30 नवंबर, 2021 को राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पारिवारिक परस्थितियों के चलते जॉब छोड़ने वाली महिलाओं के लिये राज्य सरकार की ‘बैक टू वर्क’ योजना को मंजूरी दी है।

### प्रमुख बिंदु

- उल्लेखनीय है कि शादी के बाद घर-परिवार संभालने एवं अन्य कारणों से कामकाजी महिलाओं को कई बार जॉब छोड़ना पड़ता है। नौकरी छोड़ने वाली इन कामकाजी महिलाओं को नज्दी क्षेत्र के सहयोग से फरि से जॉब दिलाने या वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराने के लिये राज्य सरकार ‘बैक टू वर्क’ योजना लेकर आई है।
- इस योजना में आगामी 3 वर्षों में 15 हजार महिलाओं को नज्दी क्षेत्र के सहयोग से फरि से जॉब दिलाने का लक्ष्य तय किया गया है। विधवा, परतियकता, तलाकशुदा एवं हसिा से पीड़ित महिलाओं को इसमें प्राथमकता दी जाएगी, जो महिलाएँ कार्यस्थल पर जाने में सक्षम नहीं होंगी, उन्हें वर्क फ्रॉम होम का अवसर उपलब्ध कराया जाएगा।
- रोजगार से जुड़ने की इच्छुक महिलाओं को महिला अधिकारिता नदिशालय एवं सीएसआर संस्था के माध्यम से रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिये सगिल वडिे ससि्टम की सुविधा वकिसति की जाएगी। इसके अलावा आरकेसीएल के माध्यम से सकलि ट्रेनिगि भी दी जाएगी।
- पायलट प्रोजेकट के रूप में योजना के क्रयिान्वयन के लिये सहयोगी संस्था/सीएसआर संस्था के पोर्टल अथवा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पर लक्षति श्रेणी की महिलाओं से आवेदन लिये जाएंगे।
- ऑनलाइन पोर्टल पर रजसिटरड महिलाओं को श्रेणीवार डाटाबेस के आधार पर नज्दी क्षेत्र में रोजगार से जोड़ने का कार्य सीएसआर संस्था द्वारा किया जाएगा। आवश्यकता होने पर सीएसआर संस्था द्वारा ऑनलाइन पोर्टल पर रजसिटरड लक्षति श्रेणी की महिलाओं को री-सकलिगि/अप-सकलिगि हेतु प्रशकिक्षण सुविधा भी प्रदान की जाएगी, जसिका अपडेशन पोर्टल पर किया जाएगा। योजना के प्रभावी क्रयिान्वयन के लिये मॉनटरिगि कमटिी का गठन किया जाएगा।
- उल्लेखनीय है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने बजट 2021-22 के वतित एवं वनियोग वधियक पर चर्चा के दौरान ‘बैक टू वर्क’ योजना शुरू करने की घोषणा की थी।